



कार्यालय रांची नगर निगम, रांची 8923

अनुज्ञप्ति

संख्या : _____

दिनांक : 22/11/14

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 155 (i) एवं 455 (i) के अन्तर्गत।

श्री ARUL KUMAR SINGH पिता का नाम Bhaisigu Nath Singh

वार्ड नं. 04 मुहल्ला Hasinax Singh Rd. Morabadi Ranchi, 834008 (JH) को रांची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत

फर्म/ प्रतिष्ठान का नाम M/S Architect Group प्लॉट नं.- Agreement गृह संख्या Paper

वार्ड Do मुहल्ला/बाईनेन में Do consultancy for Architectural Engineering के लिये निर्धारित

शुल्क 700/- seven hundred only (700/-) रु. दिविध रसीद सं. 11451

दिनांक 22/11/14 द्वारा प्राप्त कर वर्ष 2014-15 के लिए अनुज्ञप्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

नोट :-

- (1) अनुज्ञप्ति निम्न व्यवसाय के लिये निम्न की गई है। यदि व्यवसाय करता या जाना है। इसमें यदि परिवर्तन की जाती है, तो निगम से पुनः अनुज्ञप्ति आवश्यक है।
- (2) व्यवसाय स्थल का परिवर्तन अथवा परिसर का विस्तार बिना निगम की वेनी अनिवार्य है।
- (3) व्यवसाय बन्द करने की सूचना पूर्व में ही देना होगा।
- (4) यदि व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अन्य संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है और तत्संबंधी अनुमति जिस अवधि के लिये प्राप्त है, उसी अवधि तक के लिये अनुज्ञप्ति मान्य होगा।
- (5) प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में अनुज्ञप्ति नवीकरण कराना आवश्यक होगा।
- (6) अनुज्ञप्ति अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व इसके नवीकरण का आवेदन देना अनिवार्य है।
- (7) नवीकरण में विलम्ब होने पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 459 के अधीन Penalty देय होगा।

M. Raha
22/11/14
निबन्धन पदाधिकारी
रांची नगर निगम, रांची

